कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया।

असगर आलम खाँ,बि0शि0से0
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रा0 शि0 एव स0शि0अ0
Asghar Alam Khan, B.E.S
District Programme Officer, (EE & SSA)

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग, बिहार शिक्षा परियोजना, गया
शिक्षा भवन, गया– 823001
EDUCATION DEPARTMENT
BIHAR EDUCATION PROJECT, GAYA
Shiksha Bhawan, Gaya- 823001

प्रस्वीकृति कोड संख्या (236150820211218171615) दिनांक 21-05-2022 से 21-05-2025

पत्रांक / RTE / 1705 **दिनांक** 12/6/22

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक
CREATIVE PUBLIC SCHOOL
KETRA FATEHPUR

विषयः– बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education-RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 18.12.2021 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय CREATIVE PUBLIC SCHOOL, KETRA FATEHPUR, GAYA BIHAR, 824232 को कक्षा 1 – 8 तक संचालन हेतु तीन वर्ष (21.05.2022 से 21.05.2025) की अवधि के लिए दिनांक 21.05.2022 को जिला निजी विद्यालय प्रस्वीकृति समिति के बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में सर्शत औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तो के अनुपालन की अधीन होगी।

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नही होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक–1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 (अनुलग्नक–2) का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कंडिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नही प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चों को उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नही किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों का इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएगें:–
   (I) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नही रखा जाएगा समय–समय पर यथा संशोधित प्रावधान का अनुपालन और न हीं किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
   (II) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नही दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नही किया जाएगा।
   (III) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
   (IV) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
   (V) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांक / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
   (VI) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।
   (VII) शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा–24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
   (VIII) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नही होंगे।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत् है–

R/C
12.6.22

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया।

असगर आलम खाँ,बि0शि0से0
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रा0 शि0 एव स0शि0अ0
Asghar Alam Khan, B.E.S
District Programme Officer, (EE & SSA)

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग, बिहार शिक्षा परियोजना, गया
शिक्षा भवन, गया– 823001
EDUCATION DEPARTMENT
BIHAR EDUCATION PROJECT, GAYA
Shiksha Bhawan, Gaya- 823001

क्र० सं०	विद्यालय में उपलब्ध परिसम्पति/सुविधा की उपलब्धता	विवरण
1	विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	205 DIS
2	कुल निर्मित क्षेत्र	205 DIS
3	खेल के मैदान का क्षेत्र	CLASS ROOM, PLAYGROUND, LABS, LIBRARY, TOILETS, ETC
4	वर्ग कक्षों की कुल संख्या	10
5	प्रधानाध्यापक–सह कार्यालय सह–भंडार कक्षा	5
6	बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय	Both Indian and Western,Boys :- 15, Girls 10
7	पेयजल की सुविधा	15
8	मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घर	0
9	बाधारहित पहूँच	
10	शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल–कुद उपकरण/पुस्तकालय	COMPUTER LAB, SCIENCE LABS, MATH LAB, LIBRRARY ETC... , INDOOR AND OUTDOOR GAMES FACILITIES WITH SEVERAL SPORTS ITEMS , (Y , 888 , NewsPaper MagaZine:- 4)

11. कोई भी अस्वीकृत वर्ग का विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से 13 संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संध अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नही होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष कार्यालय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रा. शि. एवं स० शिक्षा, गया को (e-mail एवं निबंधित डाक से) प्रेषित किया जाएगा।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या **236150820211218171615**, 2021 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय–समय "माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार के स्तर प्रस्वीकृति की शर्तो के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्ते एवं अनुलग्नक IV के रूप में एवं ऑनलाईन जेनेरेटेड प्रमाण–पत्र की प्रति।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक–यथोक्त।

संभाग प्रभारी 12.6.22

12.6.22
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा. शि. एवं स० शिक्षा अभियान
–सह–सचिव प्रस्वीकृति समिति, गया।

ज्ञापांक/RTE/ 1705 गया/दिनांक 12/6/22
प्रतिलिपिः–जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः–निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

12.6.22
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा. शि. एवं स० शिक्षा अभियान
–सह–सचिव प्रस्वीकृति समिति, गया।

Registration no: (236150820211218171615) Date: (21-05-2022) Valid till: (21-5-2025)

बिहार सरकार

जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | GAYA
शिक्षा विभाग , बिहार सरकार, पटना
प्रमाण पत्र

सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

Creative Public School

KETRA FATEHPUR

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र ।

महाशय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक. 18-12-2021 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण एवं जिला स्तरीय त्रिसदस्यीय समिति के बैठक दिनांक : 21-05-2022 में किये गए निर्णय के आलोक में आपके विद्यालय Creative Public School, KETRA FATEHPUR, GAYA BIHAR, 824232 को कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्षा 21-05-2022 से 21-5-2025 अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।

2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे ।

3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।

4. कंडिका 3 में उध्दत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।

5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।

7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे. :

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा ।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा ।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(iV) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा ।

(V) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांग बच्चों का समावेशन किया जाएगा ।

(Vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।

(Vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे ।

(Viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे ।

8. विद्यालय केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा ।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा ।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः

(i) विद्यालय परिसर क क्षेत्रफल :- 205 डिसमिल

(ii) कुल निर्मित क्षेत्र :- 205 डिसमिल

(iii) खेल के मैदान क क्षेत्र :- CLASS ROOM, PLAYGROUND, LABS, LIBRARY, TOILETS, ETC....

(iV) वर्ग कक्षों कीं कुल संख्या :- 10

(V) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-भंडार कक्ष :- 5

(Vi) बालक तथा बालिकाओं क़े लिये अलग-अलग शौचालय :- Both Indian and Western , Boys :- 15 , Girls 10

(Vii) पेयजल की सुविधा :- 15

(Viii) मध्याह्न भोजन क़े लिये रसोई घर :- 0

(IX) बाधारहित पहुँच,[ ] :-

(X) शिक्षण अधिगम सामग्री/ खेल-कुद उपकरण/ पुस्तकालय :- COMPUTER LAB, SCIENCE LABS, MATH LAB, LIBRRARY ETC... , INDOOR AND OUTDOOR GAMES FACILITIES WITH SEVERAL SPORTS ITEMS , (Y , 888 , NewsPaper MagaZine:- 4)

11. कोई भी अपस्वीकृत वर्गका विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा ।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास केलिए होगा ।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा ।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा ।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी ।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या [23615082021121817 1615, 2021] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्धृत किया जाए ।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समाय "माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा ।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए ।

19. अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्ते

विश्वासभाजन
ह० /-
जिला शिक्षा पदाधिकारी, GAYA
शिक्षा विभाग , बिहार सरकार

12.6.22